प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 27.11.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है कड़ी कार्यवाही।**
- **इसी क्रम में थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैरइरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 14.06.2025 को थाना रूरा पर आवेदिका श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पत्नी श्री अशोक श्रीवास्तव निवासिनी 234 गुजैनी, थाना गुजैनी, जनपद कानपुर नगर द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर अवगत कराया गया कि मेरी ननद अनुपम की शादी संजय पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम सिठमरा, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात से हुई। मेरे नन्दोई मेरी ननद अनुपम के साथ शराब पीकर आये दिन गाली गलौच कर मारपीट करते रहते थे । जब इसकी शिकायत मेरी ननद अनुपम द्वारा अपने ससुरालीजनो से की तो दिनांक 06.06.2025 को मेरी ननद अनुपम के पति संजय व ससुरालीजनों द्वारा घर के अन्दर पीलर से बांध कर बेहरमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर दिनांक 14.06.2025 को मु0अ0सं0 191/2025 धारा 105 बीएनएस बनाम 1. संजय कुमार पुत्र नरसिंह राव निवासी ग्राम सिठमरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है । थाना रूरा पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त संजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र नरसिंह राव श्रीवास्तव निवासी ग्राम सिठमरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 27.11.2025 को अभियुक्त के घर के चबूतरे से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त संजय कुमार उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.संजय कुमार उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र नरसिह राव श्रीवास्तव निवासी सिठमरा थाना रुरा जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक उपरोक्त से पूछताछ का विवरण -

पूछताछ करने पर अभियुक संजय कुमार उपरोक्त ने बताया कि दिनांक -06/06/2025 को मेरी पत्नी अनुपम की मृत्यु हो गयी थी जिसमें हमारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा है उसी मुकदमे के सम्बन्ध में कल ही घर पर आया था ।आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया साहब गलती हो गयी और मांफी माँगने लगा ।

अभियुक्त संजय कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 191/2025 धारा 105 बीएनएस थाना रूरा जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रूरा पुलिस ।